रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-182/2017/2004/22-2-2016-17(50)/2012

लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ** के सिद्धदोष **बन्दी भोगी लाल (बन्दी संख्या-9929) पुत्र श्री मुकुन्दी, निवासी-नसीरपुर, थाना-चुर्खी, जिला-जालौन,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-159/77** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34** के अधीन मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई द्वारा **दिनांक 23-12-1978** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था तथा बन्दी द्वारा दिनांक 07-10-2016 तक काटी गयी 20 वर्ष, 04 माह, 22 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को **जिला मजिस्ट्रेट**, **जालौन स्थान उरई** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-182/2017/2004(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई।

3-पुलिस अधीक्षक, जालौन।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in